सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 727 राँची, मंगलवार, 28 भाद्र, 1939 (श०)
19 सितम्बर, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

11 अगस्त, 2017

कृपया पढ़े:-

1. प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-स०को०-143(गो०), दिनांक 3 अक्टूबर, 2016, पत्रांक-2606, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 एवं पत्रांक-1151, दिनांक 16 जून, 2017
2. श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी, कांके, राँची का ज्ञापांक-64, दिनांक 21 सितम्बर, 2016
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का आदेश सं०-8852, दिनांक 14 अक्टूबर, 2016, पत्रांक-9172, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016, पत्रांक-380, दिनांक 13 जनवरी, 2017 एवं पत्रांक-3247, दिनांक 20 मार्च, 2017

संख्या-5/आरोप-1-127/2016 का.-8973-- श्री रजनीश कुमार, झा०प्र०से०, (द्वितीय बैच, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू, लोहरदगा के विरूद्ध प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-स०को०-143(गो०), दिनांक 3 अक्टूबर, 2016 द्वारा 8 वर्ष की एक घरेलू कामगार को अपने राँची स्थित आवास में नियोजित करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं । इसके लिए श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी, कांके, राँची के ज्ञापांक-64, दिनांक 21 सितम्बर, 2016 द्वारा श्री कुमार को बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1966 की धारा-3 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के कारण पृच्छा करते हुए 20,000/- रूपये जमा करने का निदेश दिया गया है । इसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए 20,000/- रूपये जिला बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करने की सूचना दी गयी ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-8852, दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-9172, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 द्वारा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची से श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया ।

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2606, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा उक्त आरोपों को प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

उक्त प्रपत्र- 'क' पर विभागीय पत्रांक-380, दिनांक 13 जनवरी, 2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 30 जनवरी, 2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

विभागीय पत्रांक-3247, दिनांक 20 मार्च, 2017 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से अपना मंतव्य अनुशंसा सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके अनुपालन में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्रांक-1151, दिनांक 16 जून, 2017 से अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है-

"असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची द्वारा समर्पित उम्र जाँच प्रतिवेदन में सुश्री शीला कुमारी (बाल-श्रमिक) का उम्र 14-15 वर्ष दर्शाया गया है, जिसके अनुसार सुश्री शीला कुमारी बाल श्रमिक की परिधि से बाहर है । अतएव विषयांकित मामले में श्री रजनीश कुमार, निलंबित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू के विरूद्ध बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई किया जाना उचित नहीं है ।"

विभाग स्तर पर श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि जिस बाल श्रमिक के नियोजन हेतु श्री कुमार के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित है, उसकी उम्र 14-15 वर्ष दर्शायी गयी है, अतः शीला कुमारी बाल श्रमिक की परिधि से बाहर है। अतएव विषयांकित मामले में श्री कुमार के विरूद्ध बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई किया जाना उचित नहीं है ।

समीक्षोपरांत, श्री रजनीश कुमार, झा०प्र०से०, (द्वितीय बैच, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडू, लोहरदगा, सम्प्रति- निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए उक्त आरोप से मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 727--50